

उत्तर प्रदेश शासन  
न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)  
संख्या- 19/2018/ अधि0-888/सात-न्याय-1-17-50(अ)/86 टी0सी0-1  
लखनऊ: दिनांक 09 अप्रैल 2018

**कार्यालय-ज्ञाप**

एतदद्वारा श्री सत्य प्रकाश पाठक, सेवानिवृत्त मुख्य प्रलेखीकरण अधिकारी, विधि परामर्शी पुस्तकालय, न्याय एवं विधि परामर्शी सचिव शाखा को उनके सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या- जी0ए0यू0-67899 मे वर्ष 2016-17 जमा कुल धनराशि रू0 11,17,728/- (रूपये ग्यारह लाख सत्रह हजार सात सौ अट्ठाइस मात्र) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद के मिलान पत्र संख्या-निधि-17/मिलान-डायरी-205/डीएजी-23/1567/100100, दिनांक 8-1-2018 द्वारा आंकलित की गई है जिस पर माह 3/2017 तक ब्याज दिया गया है। उक्त जमा धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत धनराशि रू0 10,05,955/- (रूपये दस लाख पांच हजार नौ सौ पचपन मात्र) का भुगतान वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- सा-4-ए0जी0-57/दस-510-84, दिनांक 26-12-1984 के अधीन स्वीकृत किया जाता है।

- 2- यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त धनराशि श्री सत्य प्रकाश पाठक के खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
- 3- यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री सत्य प्रकाश पाठक दिनांक 31-08-2017 को अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो चुके है।
- 4- उपर्युक्त धनराशि आहरण लेखाशीर्षक- "8009-राज्य भविष्य निधियां-क-सिविल (क)-सामान्य भविष्य निधि (2)-अन्य अभिदाता" के नामें डाला जायेगा।

ह0/- उमेश कुमार,  
प्रमुख सचिव।

**संख्या- 19/2018/अधि0- 888(1)/सात-न्याय-1-17-तददिनांक:**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद के मिलान पत्र संख्या- निधि-17/मिलान-डायरी-205/डीएजी-23/1567/100100, दिनांक 8-1-2018 के संदर्भ में।
- 2- इरला चेक अनुभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
- 3- न्याय अनुभाग-8
- 4- श्री सत्य प्रकाश पाठक, सेवानिवृत्त मुख्य प्रलेखीकरण अधिकारी, विधि परामर्शी पुस्तकालय, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 5- गार्ड फाइल हेतु/इण्टरनेट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,  
ह0/-अरुण कुमार राय )  
अनु सचिव।